न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 07/2017

अनवान :

1. राजूराम पुत्र पतराम जाति जाट निवासी भनाई तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– अपीलान्ट

बनाम

1. पुष्पाकंवर पत्नी पवनसिंह जाति राजपूत निवासी भनाई तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. रामजीलाल पुत्र श्री किशनचंद जाति जाट निवासी भनाई तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. ग्राम पंचायत भनाई जरिये सरपंच ग्राम पंचायत भनाई।

– रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्ध इन्तकाल संख्या 1576 दिनांक 12.01.2015 ग्राम पंचायत भनाई जिसकी रूह से अपीलान्ट की कीमतन खरीदशुदा खातेदारी कृषि भूमि का इन्तकाल बिना ही अपीलान्ट को नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये विधि विरूद्ध तरीके से रेस्पोडेन्ट सं0 3 द्वारा रेस्पोडेन्ट सं0 1 के पक्ष में स्वीकृत फरमा दिया गया बमुराद मनसुखिया आदेश व किये जाने अपील स्वीकार

उपस्थिति : वकील श्री राजेश बैनीवाल

श्री रविन्द्र बिजारणिया व श्री विक्रम शर्मा : अपीलान्ट

वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : रेस्पोडेन्ट सं0 3

निर्णय **दिनांक :** 4.1.18

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आदेश जेर अपील अदालत मातहत लैण्ड रेवेन्यु व लैण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 के मैनेडन्टरी प्रोविजन के विपरीत पारित किये जाने के कारण निरस्तनीय है। रोही मौजा भनाई के खाता सं0 162/45 के खसरा सं0 200, 541, 784/540 की 8.1440 है0 कृषि भूमि में 1/5 हिस्सा रेस्पोडेन्ट रामजीलाल पुत्र किशनचंद जाति जाट निवासी भनाई तहसील भादरा की खातेदारी कृषि भूमि स्थित थी। रेस्पोडेन्ट रामजीलाल ने अपनी उपरवर्णित 1/5 हिस्सा की खातेदारी कृषि भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 27.03.2014 को अपीलान्ट राजूराम को कीमतन विक्रय कर इस अमर का एक बैयनामा उप पंजीयक भादरा के समक्ष पंजीबद्ध करवा लिया। अपीलान्ट ने बैयनामा का इन्तकाल दर्ज करवाने के लिए बैयनामा की एक प्रति पटवारी हल्का को दे दी।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

रेस्पोडेन्ट रामजीलाल ने तत्पश्चात अपीलान्ट को विक्रित कृषि भूमि का ही एक बैयनाँमा रेस्पोडेन्ट सं0 1 के पक्ष में दिनांक 06.062014 को बिना अधिकार खिलाफ कानून पोशिदा तोर पर तहरीर करवाकर उप पंजीयक भादरा के समक्ष पंजीबद्ध करवा दिया।

रेस्पोडेन्ट सं0 1 पुष्पाकंवर रेस्पोडेन्ट सं0 2 रामजीलाल द्वारा अपने पक्ष में निष्पादित तथाकथित बैयनामा दिनांक 06.06.2014 के ताबे अपीलान्ट को विक्रित कृषि भूमि का इन्तकाल रेस्पोडेन्ट सं0 3 ग्राम पंचायत भनाई से साजा–बाज करते हुए इन्तकाल संख्या 1576 दिनांक 12.01.2015 को अपने पक्ष में तस्दीक करवा दिया।

रेस्पोडेन्ट सं0 1 पुष्पाकंवर के पक्ष में रेस्पोडेन्ट सं0 2 रामजीलाल द्वारा निष्पादित तथाकथित बैयनामा दिनांक 06.06.2014 व उसके आधार पर ग्राम पंचायत भनाई द्वारा दर्ज किया गया इन्तकाल संख्या 1576 दिनांक 12.01.2015 अपनी जात से शुन्य व बेअसर है। क्योंकि रेस्पोडेन्ट सं0 2 द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 27.03.2014 को उपरोक्त भूमि अपीलान्ट को विक्रित की जा चुकी थी और विक्रित भूमि पर वास्तविक व भौतिक कब्जा भूमि खरीद के रोज से क्रेता राजूराम का निरन्तर चला आ रहा था वर्तमान में भी उक्त भूमि अपीलान्ट राजूराम के कब्जा काश्त में है जिसमें उसने ग्वार की फसल काश्त कर रखी है।

अपीलान्ट को अब काश्त कार्य हेतु रूपयों की आवश्यकता होने पर उसने हल्का पटवारी से जमाबन्दीयात की नकले प्राप्त की तब अपीलान्ट को प्रथम बार दिनांक 16.08.2017 को उक्त तथ्यों की जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट सं0 2 द्वारा रेस्पोडेन्ट सं0 1 के पक्ष में कराये गये तथाकथित बैयनामा दिनांक 06.06.2014 व उसके आधार पर दर्ज करवाये गये इन्तकाल 1576 दिनांक 12.01.2015 की कोई जानकारी नहीं थी। अतः अपीलान्ट जानकारी होने पर बिना किसी देरी के अपील पेश कर रहा है। अपील पेश करने में हुई देरी को माफ करवाने के लिए दफा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन अलग से पेश किया जा रहा है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टस सं0 1 व 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। रेस्पोडेन्टस सं0 3 ग्राम पंचायत की ओर से वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी उपस्थित आये।

बहस वकील अपीलान्ट एक पक्षीय सुनी गई। दौराते बहस वकील अपीलान्ट ने कथन किया कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस सं0 1 व 2 के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है। इस प्रकार अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा वकील अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट ने नामान्तरकरण सं0 1576 के विरूद्ध उसे निरस्त व अपास्त करने बाबत अपील प्रस्तुत की है। बैयनामा दिनांक 06.06.2014 व बैयनामा दिनांक 27.03.2014 व नामान्तरकरण सं0 1576 के अवलोकन से साबित है कि विवादित भूमि दो बार विक्रित हुई है किन्तु नामान्तरकरण पुष्पा कंवर के नाम से कर दिया गया जिससे जमाबन्दी में पुष्पा कंवर का नाम दर्ज हो गया। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस सं0 1 व 2 का आपसी सहमति से राजीनामा हो चुका है। रेस्पोडेन्टस सं0 3 ने भी कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है।

अत : अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा नामान्तरकरण सं0 1576 अपास्त व निरस्त कर पत्रावली तहसीलदार भादरा (राजस्व) को इस आदेश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि समस्त पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करे।

निर्णय आज दिनांक 4.1.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़